न्यायलय सम्मानीय राजस्व मंडल, ग्वालियर के समक्ष

प्र0 क्र0 /2014 पुनः लोकन रिव्यू 3509 I/14

1 बाबुराव पिता श्री पाण्डूरंगराव आयु मृत
द्वारा वारिसान :-
अ.-श्रीमति लक्ष्मीबाई विध्वा स्व बाबुराव सणस उम्र 74 वर्ष, ग्रहिणी
ब- श्री भास्करराव पुत्र स्व बाबुराव सणस उम्र 54 वर्ष, नाकरी (दै.वे.भो.)
स- श्री विनोदराव पुत्र बाबुराव सणस उम्र 48 वर्ष, नौकरी (दै.वे.भो.)

दिनांक 15-10-14 को श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव अधि० द्वारा प्रस्तुत/ 15-10-14 S.O.

NOTARY GOVT. OF INDIA Rakesh Awasthi

2 श्रीमति सुभद्रादेवी विधवा स्व यशवंतराव सणस
3 प्रकाशराव पुत्र स्व श्री यशवंतराव सणस
4 मनोज राव पिता स्व श्री यशवंतराव
5 नितिन पिता स्व श्री यशवंतराव सणस
6 राजेन्द्र पिता स्व श्री यशवंतराव सणस
7 लक्ष्मण राव पिता श्री पाण्डूरंग राव
8 रामचंद्र राव श्री पाण्डूरंग राव

सभी जाति मराठा,
धंधा- कृषि, निवासीग्रण- फ्रीगंज, शुजालपुर मंडी जिला शाजापुर म0प्र0 --पुनलोकन कर्तागण

विरूद्ध

1 दिपक कुमार पिता गौरधनदास निवासी चौबे मार्ग शुजालपुर मंडी जिला शाजापुर
2 अशोक कुमार पिता गौरधनदास शाह, आयु 59 वर्ष, निवासी- ई- 29 छत्रपति शिवाजी कालोनी, चूना भट्‌टा कोलार रोड़ भोपाल
3 श्रीमति कुमुद पारिख पत्नि अलख कुमार पारिख आयु- वर्ष, निवासी- मकान न0 12 समीर अपार्टमेंट, कस्तूर पार्क सिम्फोली रोड़ बोरीवाली वेस्ट मुबई (महाराष्ट्र)

निरंतर...2

4 श्रीमति प्रतिभा शाह पत्नि मुकेशकुमार शाह, मकान न0 403, इंद्रप्रस्थ श्रेयस टकेरा उभयवाड़ी अहमदाबाद (गुजरात)

5 श्रीमति संगीता चौधरी पत्नि डॉ. राजीव चौधरी आयु- वर्ष निवासी- रतलाम कोठी, एम.जी. रोड़ पलासिया चौराहा के पास इंदौर द्वारा मुख्त्यारआम नामा आम आवेदक दीपक कुमार शाह पिता गोरधनदास शाह आयु- 52 वर्ष निवासी- चौबे मार्ग, शुजालपुर मंडी जिला शाजापुर (म0प्र0)

6 सुरेश पिता विष्णुपंत कुलकर्णी, आयु 66 वर्ष धंधा पेंशन सी.एच. सुखलीया दीनदयाल उपाध्याय नगर इंदौर (म0प्र0)

7 रमेशचंद्र पिता विष्णुपंत कुलकर्णी निवासी-704 सेक्टर आई.सी.पोस्ट बोकारो जिला धनबाद (बिहार)

8 अरूण पिता विष्णुपंत कुलकर्णी, उम्र 60 वर्ष मृत द्वारा वारिसान :-

9 सतीष पिता विष्णुपंत कुलकर्णी, आयु 58 वर्ष धंधा नोकरी स्टेट बैंक आफ इंदौर शाखा- नई सड़क, उज्जैन

10 परडूना पुत्र विष्णुपंत कुलकर्णी निवासी 135 फुडनी कालोनी इंदौर

.....अनावेदकगण/रिस्पोन्डेन्ट्स

<u>::पुनःलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू. रा.सं. :: 1959</u>

न्यायालय माननीय न्यायलय द्वारा प्रकरण क्र0 1068 बाबुराव आदि विरूद्ध दीपक कुमार आदि में पारित आदेश दिनांक 13/08/14 से विक्षुब्ध होकर पुनःलोकन याचिका।

महोदय,

अनावेदकगण / प्रतिप्राथी / पुनःलोकनकर्तागण की ओर से अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित तथ्यों तथा आधारों पर यह पुनःलोकन याचिका विधिवत समयावधि ा में प्रस्तुत है:-

निरंतर....3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3509–एक/14 **जिला शाजापुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–12–2015	आवेदकपक्ष के अधिवक्ता के रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1068–एक/12 में पारित आदेश दिनांक 13–08–2014 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	